प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण वाहनों को किराये पर लेने से पूर्व कृपया ध्यान दें।

यदि आप किसी यात्रा, पर्यटन आदि पर जा रहे हैं, तो गलत वाहन का चयन कर अपनी यात्रा को कठिन न बनायें।

ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय निजी (नॉन–ट्रांस्पोर्ट) वाहन स्वामियों द्वारा अपनी वाहनो को टैक्सी के रूप में किराये पर संचालित करते हुए व्यवसाय किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध होने के साथ–साथ यात्रियों की जान को जोखिम में डालना भी है।

कृपया ध्यान दें–

1– नियमानुसार निजी (नॉन–ट्रांस्पोर्ट) वाहनों का व्यवसायिक रूप में संचालन नहीं किया जा सकता।

नॉन–ट्रांस्पोर्ट (सफेद सतह पर काले नम्बर) एवं ट्रांस्पोर्ट (पीली सतह पर काले नम्बर) वाहनों की पहचान उसकी नम्बर प्लेट देखकर आसानी से की जा सकती है

2– इससे जहॉ एक ओर राज्य सरकार के राजस्व में मोटरयान कर, परमिट एंव फिटनेस फीस की भी अपवंचना होती है वहीं केन्द्र सरकार के सर्विस टैक्स/आयकर की अपवंचना होती है।

3– निजी वाहन के व्यवसायिक प्रयोग की स्थिति में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना राहत निधि से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता भी प्रभावित व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी।

4– बीमा कम्पनी द्वारा भी ऐसी वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

5– दोषी वाहन स्वामियों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसके अन्तर्गत वाहन का चालान/बन्द करने की कार्यवाही, वाहन का पंजीयन चिन्ह निलम्बन के साथ–साथ वाहन को बन्द एवं दण्ड भी आरोपित किया जा सकता है।

6– निजी वाहनों के व्यवसायिक प्रयोग करते पाये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहन का मौके पर चालान किया जा सकता है अथवा उसे बन्द किया जा सकता है, जिस कारण यात्रियों को यात्रा के दौरान भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपनी नॉन–ट्रांस्पोर्ट वाहन को किराये की टैक्सी के रूप में संचालित न करें।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।